न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2022/255 दर्ज तिथिः–12.08.2022

1. मंगलाराम पुत्र सोनाराम
2. द्रोपोदेवी पत्नी सोनाराम
   जाति विश्नोई साकिन भीलों की ढाणी तहसील गुढामालानी

.................वादीगण

बनाम

1. कमला पुत्री नेनाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र कोजाराम
3. ठाकराराम पुत्र जोधाराम
4. पताराम पुत्र जोधाराम
5. रूगनाथराम पुत्र जोधाराम
6. हिरकन पुत्र जोधाराम
7. सुगणी पत्नी कोजाराम फौत के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 2
   कौम विश्नोई साकिन भालों की ढाणी तहसील गुढामालानी

.................असल प्रतिवादीगण

8. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक गुढामालानी।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढामालानी

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री मोहनलाल विश्नोई
प्रतिवादी सं. 1ः– श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादी सं. 2 से 6ः–श्री नारायण कुमावत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

<u>–ःनिर्णयः–</u>

निर्णय तिथिः– 25.05.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने

पेष हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 965 / 10.4004 है0 वाके ग्राम भीलों की ढाणी, खसरा संख्या 949 / 2 / 1.7968 है0, 961 / 0.5504 है0, 961 / 2 / 0.1700 है0 वाके ग्राम भीलों की ढाणी, खसरा संख्या 987 / 6.2402 है0, 987 / 2 / 0.8903 है0, वाके ग्राम बोरली, खसरा संख्या 1017 / 7. 7295 है0, 1017 / 2 / 0.2995 है0 वाके ग्राम मौखावा, खसरा संख्या 1016 / 0.1214 है0 वाके ग्राम मौखावा तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी का हिस्सा खुला हुआ हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या द्वारा जवाब मय प्रतिवादा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की आराजी खसरा संख्या 987 / 6.2402 है0, 987 / 0.8903 है0 वाके ग्राम बोरली का खाता भी परिशिष्ट 'अ' अनुसार बंटवारा किया जाकर वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया गया कि वादीगण का वादग्रस्त आराजी के प्रत्येक खसरे में 2 / 6 हिस्सा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस अन्य प्रतिवादीगण से पृथक किया जावे। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आराजी खसरा संख्या 987 / 6.2402 है0, 987 / 0.8903 है0 वाके ग्राम बोरली का खाता भी परिशिष्ट 'अ' अनुसार बंटवारा किया जाकर वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया।

4. प्रकरण में दिनांक 05.09.2024 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/कोर्ट/2025/905 दिनांक 09.06.2025 एवं राजकाज रेफरेंस संख्या 18310599 दिनांक 13.10.2025 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/कोर्ट/2025/905 दिनांक 09.06.2025 एवं राजकाज रेफरेंस संख्या 18310599 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 16.09.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2348–2355 दिनांक 30.08.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 16.09.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2348–2355 दिनांक 30.08.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 16.09.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

5. उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण में स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। पीठासीन अधिकारी के मौका निरीक्षण के दौरान सभी पक्षकारान उपस्थित रहे। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी के मौका निरीक्षण के पश्चात् संशोधित विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। उक्त संशोधित विभाजन प्रस्ताव पर अदालत में बहस सुनी गई। उक्त संशोधित विभाजन प्रस्ताव पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा सहमति प्रदान की गई तथा अन्य प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। परंतु

अन्य प्रतिवादी द्वारा कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। साथ ही अन्य प्रतिवादीगण द्वारा कोई स्पष्ट आपत्ति का बिंदु प्रस्तुत नहीं किया गया। केवल संशोधित विभाजन प्रस्ताव पर मौखिक आपत्ति प्रस्तुत की गई। चूंकि प्रकरण में अन्य प्रतिवादीगण द्वारा कोई लिखित या स्पष्ट मौखिक आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। इस कारण उक्त आपत्ति का निस्तारण किया जाना सम्भव नहीं है।

6. प्रकरण में संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072—2075 व 2076—2079 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट एवं संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा पर का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 965 / 10.4004 है0 वाके ग्राम भीलों की ढाणी, खसरा संख्या 949 / 2 / 1.7968 है0, 961 / 0.5504 है0, 961 / 2 / 0.1700 है0 वाके ग्राम भीलों की ढाणी, खसरा संख्या 987 / 6.2402 है0, 987 / 2 / 0.8903 है0, वाके ग्राम बोरली, खसरा संख्या 1017 / 7.7295 है0, 1017 / 2 / 0.2995 है0 वाके ग्राम मौखावा, खसरा संख्या 1016 / 0.1214 है0 वाके ग्राम मौखावा तहसील गुडामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट एवं संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा पर पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) एवं संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा पर मय नक्शा—ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

7. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> > *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> > *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.
(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

8. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से

अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

10. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल संयुक्त आराजी खसरा संख्या 965/10.4004 है0 वाके ग्राम भीलों की ढाणी, खसरा संख्या 949/2/1.7968 है0, 961/0.5504 है0, 961/2/0.1700 है0 वाके ग्राम भीलों की ढाणी, खसरा संख्या 987/6.2402 है0, 987/2/0.8903 है0, वाके ग्राम बोरली, खसरा संख्या 1017/7.7295 है0, 1017/2/0.2995 है0 वाके ग्राम मौखावा, खसरा संख्या 1016/0.1214 है0 वाके ग्राम मौखावा तहसील गुडामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट एवं संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मंगला पुत्र सोना द्रोपो पत्नी सोना जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	1/2 1/2	बोरली	987	2.0800 है0	बा0दो0
		बोरली	987/2	0.2968 है0	बा0दो0
		विश्नोईयों की ढाणी	949/2	0.5989 है0	बा0दो0
		विश्नोईयों की ढाणी	965	3.3281 है0	बा0दो0
		मौखावा	1017	2.8355 है0	बा0दो0

		मौखावा	1016	0.1214 है0	बा0दो0
कुल किता 06 रकबा 9.2607 है0					
ठाकराराम पुत्र जोधाराम	1/4	बोरली	987	2.0801 है0	बा0दो0
पताराम पुत्र जोधाराम	1/4				
रूगनाथराम पुत्र जोधाराम	1/4		987/2	0.2968 है0	बा0दो0
हिरकनराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार राहिन हि0 ठाकराराम, रूगनाथराम, हिरकनराम एसबीआई गुड़ामालानी	1/4				
कुल किता 02 रकबा 2.3769 है0					
कमला पुत्री नैनाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा एसबीआई एडीबी गुड़ा	पूर्ण	बोरली	987	2.0801	बा0दो0
			987/2	0.2967	बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 2.3768 है0					
ठाकराराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई गुड़ामालानी	पूर्ण	विश्नोईयो की ढाणी	965	3.3281	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 3.3281 है0					
रूगनाथराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई गुड़ामालानी	पूर्ण	विश्नोईयो की ढाणी	965	0.8320	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.8320 है0					
पताराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	पूर्ण	विश्नोईयो की ढाणी	965	0.8320	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.8320 है0					
हिरकन पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	पूर्ण	विश्नोईयो की ढाणी	965	1.6640	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.6640 है0					
मंगला पुत्र सोना	1/6	विश्नोईयों की ढाणी	965	0.4162 है0	गै0मु0 रास्ता
द्रोपा पत्नी सोना	1/6				
ठाकराराम पुत्र जोधाराम	1/3				
रूगनाथराम पुत्र जोधाराम	1/12				

पताराम पुत्र जोधाराम	1/12				
हिरकनराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई सा0 खातेदार राहिन ठाकराराम, रूगनाथराम, हिरकनराम एसबीआई गुड़ामालानी	1/6				
कुल किता 01 रकबा 0.4162 है0					
ओमप्रकाश पुत्र कोजाराम	1/2	विश्नोईयो की ढाणी	949/2	1.1979 है0	बा0दो0
ठाकराराम पुत्र जोधाराम	1/8		961	0.5504 है0	बा0दो0
रूगनाथराम पुत्र जोधाराम	1/8		961/2	0.1700 है0	बा0दो0
पताराम पुत्र जोधाराम	1/8	मौखावा	1017	4.8940 है0	बा0दो0
हिरकनराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नाई सा0 देह खातेदार राहिन ओमप्रकाश व कोजाराम एसबीआई गुड़ामालानी	1/8		1017/2	0.2995 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 7.1118 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात एवं संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा पर निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2022 / 255 दर्ज तिथिः–12.08.2022

1. मंगलाराम पुत्र सोनाराम
2. द्रोपोदेवी पत्नी सोनाराम
   जाति विश्नोई साकिन भीलों की ढाणी तहसील गुढामालानी

.................वादी

बनाम

1. कमला पुत्री नेनाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र कोजाराम
3. ठाकराराम पुत्र जोधाराम
4. पताराम पुत्र जोधाराम
5. रूगनाथराम पुत्र जोधाराम
6. हिरकन पुत्र जोधाराम
7. सुगणी पत्नी कोजाराम फौत के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 2
   कौम विश्नोई साकिन भालों की ढाणी तहसील गुढामालानी

.................असल प्रतिवादीगण

8. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक गुढामालानी।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढामालानी

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री मोहनलाल विश्नोई
प्रतिवादी सं. 1ः– श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादी सं. 2 से 6ः–श्री नारायण कुमावत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल संयुक्त आराजी खसरा संख्या 965/10.4004 है0 वाके ग्राम भीलों की ढाणी, खसरा संख्या 949/2/1.7968 है0, 961/0.5504 है0, 961/2/0.1700 है0 वाके ग्राम भीलों की ढाणी, खसरा संख्या 987/6.2402 है0, 987/2/0.8903 है0, वाके ग्राम बोरली, खसरा संख्या 1017/7.7295 है0, 1017/2/0.2995 है0 वाके ग्राम मौखावा, खसरा संख्या 1016/0.1214 है0 वाके ग्राम मौखावा तहसील गुडामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट एवं संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मंगला पुत्र सोना द्रोपो पत्नी सोना जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	1/2 1/2	बोरली	987	2.0800 है0	बा0दो0
		बोरली	987/2	0.2968 है0	बा0दो0
		विश्नोईयों की ढाणी	949/2	0.5989 है0	बा0दो0
		विश्नोईयों की ढाणी	965	3.3281 है0	बा0दो0
		मौखावा	1017	2.8355 है0	बा0दो0
		मौखावा	1016	0.1214 है0	बा0दो0
कुल किता 06 रकबा 9.2607 है0					
ठाकराराम पुत्र जोधाराम	1/4	बोरली	987	2.0801 है0	बा0दो0
पताराम पुत्र जोधाराम	1/4				
रूगनाथराम पुत्र जोधाराम	1/4		987/2	0.2968 है0	बा0दो0
हिरकनराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार राहिन हि0	1/4				

ठाकराराम, रूगनाथराम, हिरकनराम एसबीआई गुड़ामालानी					
कुल किता 02 रकबा 2.3769 है0					
कमला पुत्री नैनाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा एसबीआई एडीबी गुड़ा	पूर्ण	बोरली	987	2.0801	बा0दो0
			987/2	0.2967	बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 2.3768 है0					
ठाकराराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई गुड़ामालानी	पूर्ण	विश्नोईयो की ढाणी	965	3.3281	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 3.3281 है0					
रूगनाथराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई गुड़ामालानी	पूर्ण	विश्नोईयो की ढाणी	965	0.8320	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.8320 है0					
पताराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	पूर्ण	विश्नोईयो की ढाणी	965	0.8320	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.8320 है0					
हिरकन पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	पूर्ण	विश्नोईयो की ढाणी	965	1.6640	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 1.6640 है0					
मंगला पुत्र सोना	1/6	विश्नोईयों की ढाणी	965	0.4162 है0	गै0मु0 रास्ता
द्रोपा पत्नी सोना	1/6				
ठाकराराम पुत्र जोधाराम	1/3				
रूगनाथराम पुत्र जोधाराम	1/12				
पताराम पुत्र जोधाराम	1/12				
हिरकनराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई सा0 खातेदार राहिन ठाकराराम, रूगनाथराम, हिरकनराम एसबीआई गुड़ामालानी	1/6				
कुल किता 01 रकबा 0.4162 है0					

ओमप्रकाश पुत्र कोजाराम	1 / 2	विश्नोईयो की ढाणी	949 / 2	1.1979 है0	बा0दो0
ठाकराराम पुत्र जोधाराम	1 / 8		961	0.5504 है0	बा0दो0
रूगनाथराम पुत्र जोधाराम	1 / 8		961 / 2	0.1700 है0	बा0दो0
पताराम पुत्र जोधाराम	1 / 8	मौखावा	1017	4.8940 है0	बा0दो0
हिरकनराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नाई सा0 देह खातेदार राहिन ओमप्रकाश व कोजाराम एसबीआई गुड़ामालानी	1 / 8		1017 / 2	0.2995 है0	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 7.1118 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात एवं संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी